<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>02/01/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 31.12.2025 को एक अर्पित राठौर के परिसर में तलाशी अभियान चलाया, जिसे बाद में श्री एस पी ओसवाल के डिजिटल गिरफ्तारी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और 14 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी बरामद और जब्त की गई।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, लुधियाना द्वारा बीएनएसएस, 2023 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। साइबर अपराध या डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित नौ अतिरिक्त एफआईआर भी जांच में शामिल की गईं, जिनमें उसी समूह को शामिल किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि श्री एस पी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने उनसे 7 करोड़ रुपये की उगाही की। इसी समूह ने डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी के घोटालों के माध्यम से अन्य लोगों से 1.73 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जांच में पता चला है कि आरोपी रूमी कलिता और अर्पित राठौर द्वारा संचालित कई म्युल खातों के माध्यम से धन भेजा गया था। गुवाहाटी के रहने वाले रूमी कलिता और कानपुर के अर्पित राठौर इन गतिविधियों में शामिल हैं। यह भी पता चला कि रूमी कलिता ने अतनु चौधरी के साथ एक एसोसिएशन स्थापित किया और अपनी इकाई मेसर्स/ फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स और अन्य इकाई रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते का उपयोग अवैध आय को वैध बनाने के लिए किया। नौ डिजिटल गिरफ्तारी मामलों से प्राप्त धन फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स के खातों में जमा किया गया, जबकि दो मामलों से प्राप्त आय रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में रखी गई। इन राशियों को बाद में 200 से अधिक म्युल बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे आय का विपथन हो सका। इन लेनदेन को पूरा करने में अर्पित राठौर ने मदद की, जिन्होंने पीड़ितों द्वारा जमा करने के बाद रूमी कलिता को धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

यह भी पता चला कि आरोपी अर्पित राठौर ने श्री एसपी ओसवाल की डिजिटल गिरफ्तारी के साथ-साथ कई अन्य साइबर अपराधों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले धोखाधड़ी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्पित राठौर ने इन अपराधों को अंजाम देने के लिए विदेशी सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखा, विदेशी नागरिकों को म्यूल खाते प्रदान करके और अवैध आय को विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने में सहायता की। बदले में, इन विदेशी नागरिकों ने अर्पित राठौर को मुआवजा दिया और साइबर अपराध के मुनाफे को विदेश ले जाने में मदद करने के लिए म्यूल खातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा, यह भी पता चला कि अर्पित राठौर को आपराधिक आगम का हिस्सा यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी और भारतीय रुपये के रूप में मिला।

पूर्व में इस मामले में 22.12.2025 को तलाशी ली गई थी और आरोपी सुश्री रूमी कलिता को 23.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में ईडी की हिरासत में है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी अर्पित राठौर को माननीय एसीजेएम, कानपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 02 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी और इसके बाद उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, जालंधर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी को 05.01.2026 तक 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

आगे की जांच जारी है।